न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी जिला जोधपुर
बइजलास–यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं 109 / 2012

वादीगण / अप्रार्थीगण बनाम प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण

अचलाराम वगैरा भैराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

उपस्थितः–
श्री रेवन्तसिंह पातावत वादी अधिवक्ता अनुपस्थित
श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई एवं हिराराम विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 18/08/2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी व बंटवाडा व जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्व वादीगण पेश किया है ग्राम खारा तहसील फलौदी में स्थित खसरा संख्या 433 रकबा 376 .01 बिघा, भूमि में अपने दादा सालगा पुत्र पेमा का 1/2 हिस्सा है तथा माला पुत्र खेता का 1/2 हिस्सा बताते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा है। मूल खातेदार सालगा पुत्र पेमा ने अपने जीवनकाल में 1/4 हिस्से का वर्षो पूर्व बेचाननामा भीका पुत्र काछबा के नाम कर दिया था तथा खरीददार भीका पुत्र काछबा ने आगे भूमि केतागण को बेचान कर दी इस कारण उक्त विकय सुदा भूमि 1/4 हिस्से पर वादीगण का कोई अधिकार वाद करने का नही है न ही वादीगण का कोई कब्जा है। बिना कब्जे के घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित है।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी/प्रार्थी की बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए बताया की ग्राम खारा तहसील फलौदी में स्थित खसरा संख्या 433 रकबा 376 .01 बिघा, भूमि में अपने दादा सालगा पुत्र पेमा का 1/2 हिस्सा है तथा माला पुत्र खेता का 1/2 हिस्सा बताते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा है। मूल खातेदार सालगा पुत्र पेमा ने अपने जीवनकाल में 1/4 हिस्से का वर्षो पूर्व बेचाननामा भीका पुत्र काछबा के नाम कर दिया था तथा खरीददार भीका पुत्र काछबा ने आगे भूमि केतागण को बेचान कर दी इस कारण उक्त विकय सुदा भूमि 1/4 हिस्से पर वादीगण का कोई अधिकार वाद करने का नही है न ही वादीगण का कोई कब्जा है। बिना कब्जे के घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
फलौदी

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner